**(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)**

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

**अधिसूचना सं. 02/2023**
**दिनांकः 3 अप्रैल, 2024**

**विषयः संयुक्त अरब अमीरात को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।**

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियंमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 22.03.2024 की अधिसूचना संख्या 81/2023 के पैरा 2 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को दिनांक 01.03.2024 की विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 65/2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा के अतिरिक्त 10000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।

2. **अधिसूचना का प्रभावः**

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को दिनांक 01.03.2024 की विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 65/2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा मात्रा के अतिरिक्त 10000 मी.ट. प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात अनुमत है।

संतोष कुमार सारंगी
3.4.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/060/एएम–24/ईसी (इ–38291) से जारी)